यू० पी० बैंक इम्प्लाईज यूनियन

पंजीकरण संख्या–538
ए.आई.बी.ई.ए. से संबद्ध
केन्द्रीय कार्यालय : 106/107 द्वितीय तल, ब्लाक संख्या 26/2/4, संजय प्लेस, आगरा–282002
पत्र व्यवहार : 3/17, विभव नगर, आगरा–282 001, मो0: 09837472750
फोन/फैक्सः (नि0) 0562–4044383, **E-mail: mmrai_2509@yahoo.co.in & mmrai2509@gmail.com**

परिपत्र संख्या : 2016–19/97/2018 **दिनांक :** 13.08.2018

सभी प्रान्तीय पदाधिकारियों, कार्यकारिणी सदस्यों
जिला इकाईओं के मंत्रियों/अध्यक्षों हेतु

प्रिय साथियों,

सीसीबीआईएफयू का सम्मेलन एवं संगोष्ठी

9 अगस्त, 2018 को दिल्ली में सीसीबीआईएफयू का विशेष सम्मेलन तथा संगोष्ठी आयोजित की गई थी। इस सम्मेलन के विषय में सीसीबीआईएफयू ने अपना परिपत्र संख्या 2018/1 दिनांक 12.08.2018 जारी किया है जिसका अनूदित सार इकाईओं तथा सदस्यों की सूचना एवं संज्ञान हेतु नीचे प्रस्तुत किया जा रहा है।

अभिवादन सहित,
आपका साथी,

(मदन मोहन राय)
महामंत्री

प्रिय साथियों,

हमारा सम्मेलन तथा संगोष्ठी – एक प्रभावशाली सफलता

9 अगस्त, 2018 को दिल्ली में हुआ हमारा विशेष सम्मेलन तथा सेमिनार एक प्रभावशाली सफलता साबित हुआ। एआईबीईए, एआईबीओए, जीआईईएआईए तथा एआईएलआईसीईएफ से 270 प्रतिभागियों ने कार्यक्रम में भाग लिया।

सत्र की अध्यक्षता साथी राजेन नागर, एआईबीईए, साथी एस एस सिसौदिया, एआईबीओए, साथी ललित सुवर्णा, जीआईईएआईए तथा साथी एन सुंदरमुर्ती, एआईएलआईसीईएफ के संयुक्त अध्यक्ष मण्डल द्वारा की गई।

बैठक ने तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री तथा हमारे देश के एक वरिष्ठ राजनीतिक नेता श्री एम. करूणानिधि, जिनका 07.08.2018 को देहांत हो गया, को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए दो मिनट का मौन धारण किया।

संयोजक की रिपोर्ट : हमारे संयोजक साथी के गोविन्दन ने अपने प्रारंभिक वक्तव्य में हमारे सीसीबीआईएफयू की स्थापना की पृष्ठभूमि के विषय में बताया और बैंकिंग तथा बीमा क्षेत्र पर बढ़ते हुए हमलों के संदर्भ में इसे सुदृढ़ करने की आवश्यकता को बताया। उन्होंने हमारी वर्तमान माँगों को रेखांकित किया और 14 जुलाई, 2018 को 20 प्रमुख प्रादेशिक राजधानियों में धरना कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए सभी इकाईओं का धन्यवाद किया।

एफआरडीआई विधेयक को वापस लिया जाना – हमारे अभियान के लिए एक प्रोत्साहन : साथी गोविन्दन ने सूचित किया कि कैसे आम जमाकर्ताओं के मूल्य पर कॉर्पोरेटों को लाभ पहुंचाने के लिए एफआरडीआई विधेयक लागू किए जाने के प्रयास थे और कैसे हमारे प्रभावी अभियान ने विधेयक को वापस लने के लिए सरकार को मजबूर करने में मदद की।

जारी पृष्ठ 2

रिपोर्ट पर चर्चा : रिपोर्ट पर जीवंत चर्चा हुई और कई प्रतिभागियों ने अपने विचार और सुझाव प्रस्तुत किए। इन चर्चाओं में समान सूत्र था और उन सभी ने समयोचित पहल के रूप में सीसीबीआईएफयू के गठन का स्वागत किया और उनका मत था कि वित्तीय क्षेत्र में हमारे समन्वय को और सुदृढ़ करने के लिए सभी प्रयास किए जाने चाहिए।

यह भी सुझाव थे कि बैंकिंग तथा बीमा क्षेत्र में अन्य समान विचारधारा वाले संगठनों को शामिल करने के लिए इस मंच को और विस्तारित किया जा सकता है। प्रतिभागियों ने यह भी महसूस किया कि सीसीबीआईएफयू को सभी राज्यों, जिलों तथा कस्बों में निचले स्तर तक ले जाना चाहिए ताकि हमारे सभी सदस्य सीसीबीआईएफयू की गतिविधियों और कार्यक्रमों में शामिल हो सकें।

श्री सुखेन्दु शेखर रे द्वारा सम्बोधन : सम्मेलन को श्री सुखेन्दु शेखर रे, सांसद, ऑल इण्डिया तृणमूल कांग्रेस, ने सम्बोधित किया। अपने भाषण में, उन्होंने बताया कि किस तरह वर्तमान केन्द्र सरकार की विभिन्न नीतियाँ आम लोगों के हितों के लिए हानिकारक हैं। उन्होंने इंगित किया कि हमारे देश की 1% जनसंख्या जो बहुत अमीर है, देश की कुल संपत्ति के 70% से अधिक का नियंत्रित करती है इस प्रकार आर्थिक असमानता बढ़ रही है। जबकि पूरा देश संकट का सामना कर रहा है, बैंक और बीमा क्षेत्र विशेष समस्याओं का सामना करते हैं जहाँ खराब ऋण बढ़ रहे हैं लेकिन कॉर्पोरेट क्षेत्र को मुक्त कर दिया जाता है। एफआरडीआई विधेयक आम लोगों के कन्धों पर ऋण चूकों के बोझ को थोपने का एक प्रयास था। उन्होंने एफआरडीआई विधेयक के विरूद्ध एक प्रभावी अभियान बनाने में एआईबीईए की भूमिका की सराहना की। उन्होंने बताया कि कैसे दिवालियापन और धन शोधन अक्षमता संहिता के नाम पर, बड़ी कॉर्पोरेट कम्पनियों की भारी चूकों को बैंकों द्वारा की गई गंभीर सजावटी छंटनी के साथ उनके पक्ष में समाधान किया जाता है। उन्होंने हमारे संघर्षों और माँगों के लिए अपने समर्थन का आश्वासन दिया।

साथी अमरजीत कौर द्वारा सम्बोधन : एटक की महासचिव साथी अमरजीत कौर ने अपने स्पष्ट एवं शिक्षाप्रद भाषण से हमारे सम्मेलन को सम्बोधित किया। उन्होंने वर्तमान एनडीए–भाजपा द्वारा चलाई जा रही जन–विरोधी और कामगार–विरोधी नीतियों के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने बताया कि कैसे एक पहले से सोचे हुए तरीके तथा व्यवस्थित ढंग से लोकतांत्रिक मूल्यों और संस्थानों को कमजोर और लक्षित किया जा रहा है और समझाया कि इस तरह के हमलों के विरूद्ध संघर्ष करने के लिए ट्रेड यूनियनों को सबसे आगे क्यों होना चाहिए। उन्होंने सरकार की श्रम नीतियों के बारे में भी बात की जहाँ कठिनाई से अर्जित श्रम अधिकारों को श्रम सुधारों के नाम पर छीनने के प्रयास हैं। उन्होंने वित्तीय क्षेत्र पर हमलों के विरोध के लिए एक व्यापक मंच के रूप में सीसीबीआईएफयू के गठन की सराहना की। उन्होंने अतीत के हमारे महान नेताओं की भूमिका तथा बलिदानों का स्मरण किया जिन्होंने लोगों के हितों के लिए सामाजिक प्रतिबद्धता के साथ हमारी यूनियनों को बनाया और आह्वान किया कि सीसीबीआईएफयू को इन आदर्शों का पालन करना चाहिए और उभरती हुई चुनौतियों में अग्रणी भूमिका निभाना जारी रखना चाहिए।

निर्णय : चर्चाओं को अंत में इस रूप में लाया गया कि सीसीबीआईएफयू को हमारे वित्तीय क्षेत्र द्वारा सामना की जाने वाली उभरती हुई चुनौतियों का जवाब देने में प्रभावी भूमिका निभानी चाहिए।

सम्मेलन ने निम्नलिखित निर्णय लिए :

- **सीसीबीआईएफयू की राज्य–स्तरीय शाखायें अगले दो या तीन महीनों के भीतर सभी राज्यों में गठित की जानी चाहिए।**
- **राज्य–स्तरीय सम्मेलन अक्टूबर, 2018 से पहले आयोजित किए जाने चाहिए।**
- **दिसम्बर, 2018 से पहले पूरे देश में 100 महत्वपूर्ण शहरों में धरने का आयोजन किया जाना है।**
- **वर्तमान घटनाक्रम से हमारे सदस्यों को अवगत कराने के लिए सीसीबीआईएफयू द्वारा अधिक सूचनायें और बुलेटिन जारी किए जाने हैं।**
- **'आजीविका तथा आजीविका सुरक्षा का अधिकार – नियमित कार्यों की आउटसोर्सिंग के विरूद्ध संघर्ष' पर अहमदाबाद में राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित किया जायेगा।**

जारी पृष्ठ 3

प्रस्ताव : बैठक ने निम्नलिखित प्रस्तावों को अंगीकृत किया :

1. लोकतांत्रिक संस्थानों तथा अभिव्यक्ति की आजादी पर बढ़ते हमलों पर।
2. महिलाओं और दलितों तथा हाशिए पर पड़े वर्गों पर बढ़ते हमलों पर।

घोषणा पत्र : सम्मेलन ने निम्नलिखित घोषणापत्र अंगीकृत किया :

करो, लड़ो और जियो – लड़ो और जीवित रहो

9 अगस्त, 2018 को दिल्ली में आयोजित बैंक, बीमा तथा वित्तीय क्षेत्र यूनियनों की समन्वय समिति जिसमें एआईबीईए, एआईबीओए, जीआईईएआईए तथा एआईएलआईसीईएफ शामिल हैं, का यह सम्मेलन इस आम मंच के गठन की पहल करने के लिए नेतृत्व को बधाई देता है।

सम्मेलन इस पहल के लिए घटक यूनियनों तथा सदस्यों की उत्साही प्रतिक्रिया को अनुभव करते हुए प्रसन्न है तथा इस मंच को सुदृढ़ करने का निर्णय लेता है।

सम्मेलन अनुभव करता है कि एनडीए सरकार अपनी जन–विरोधी और कामगार–विरोधी कार्यसूची को गंभीरतापूर्वक आगे बढ़ा रही है और श्रम सुधार उनकी श्रम नीतियों का मुख्य हिस्सा है जिसके द्वारा कामगार वर्ग के कठिनाई से अर्जित श्रम संगठन अधिकारों को कमजोर करने के प्रयास हैं। सरलीकरण और संहिताकरण के नाम पर, श्रम कानूनों को विघटित किए जाने और श्रमिकों के नुकसान तथा नियोक्ताओं के लाभ में परिवर्तित किए जाने के प्रयास हैं। नियत अवधि रोजगार की सरकार की नीति हमारी आजीविका एवं आजीविका सुरक्षा तथा आजीविका स्थिरता पर गंभीर हमला है। यह सम्मेलन इन खतरों के बारे में सामान्य कार्यकर्ताओं तथा सदस्यों के बीच अभियान चलाने और हमारे श्रम अधिकारों पर इन हमलों के विरूद्ध प्रतिरोध कार्रवाईयों में उनको एकजुट करने का निर्णय लेता है।

सम्मेलन सरकार की श्रम नीतियों के विरूद्ध संघर्ष कार्यक्रमों पर निर्णय लेने के उद्देश्य से 28 सितम्बर, 2018 को राष्ट्रीय श्रम संगठन सम्मेलन आयोजित करने के केन्द्रीय श्रम संगठनों के निर्णय का स्वागत करता है। बैठक सम्मेलन में भाग लेने और श्रम संगठन सम्मेलन द्वारा तैयार किए जाने वाले सभी कार्यक्रमों को लागू करने का निर्णय लेती है।

सम्मेलन यह जानकर प्रसन्न है कि लोगों के हित में एफआरडीआई विधेयक को वापस लेने की सीसीबीआईएफयू की माँग पर, बड़े पैमाने पर लोगों के दबाव के कारण, सरकार को एफआरडीआई विधेयक को त्यागने तथा वापस लेने के लिए मजबूर होना पड़ा है।

सम्मेलन कथित बैंकिंग सुधारों की नीतियों के प्रति अपना दृढ़ विरोध व्यक्त करता है जिसका उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र को सौंपने का है। सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों को और अधिक सुदृढ़ किया जाना है। अधिक से अधिक लोगों की पहुंच तक बैंकों का विस्तार करने के बजाय, सरकार बैंकों को समेकित करना चाहती है। विशाल अनार्जक आस्तियों को वसूल करने के कड़े उपाय करने के बजाय, कॉर्पोरेट चूककर्ताओं को सभी प्रकार की रियायतें दी जा रही हैं जबकि जुर्मानों तथा अनुचित सेवा शुल्कों के माध्यम से इस बोझ को आम लोगों के कन्धों पर डालने के प्रयास हैं। सम्मेलन कथित बैंकिंग सुधार नीतियों को उलटने की माँग करता है।

बीमा क्षेत्र के मामले में, सरकार अधिक से अधिक सीधा विदेशी निवेश थोप रही है जो हमारे बीमा क्षेत्र को विदेशी निवेशकों द्वारा नियंत्रित करने में सक्षम करेगा। सरकार जनरल इंश्योरेन्स कम्पनी को भी निजी निवेशकों को अपनी शेयर धारिता के विनिवेश के लिए मजबूर कर रही है।

चूंकि एलआईसी विशाल सार्वजनिक बचतों का प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए इसकी निवेश नीति बहुत महत्वपूर्ण है। यह चिंता का विषय है कि एलआईसी में, गैर–निष्पादित निवेश बढ़ रहे हैं और सीसीबीआईएफयू एक स्वस्थ निवेश नीति सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा निवेश दिशानिर्देशों की समीक्षा की मांग करता है जो कि नीति–धारकों के हितों की रक्षा करेगा।

जारी पृष्ठ 4

चूंकि आईडीबीआई बैंक में एलआईसी द्वारा निवेश के हालिया निर्णय के परिणामस्वरूप बैंक में सरकार की शेयरधारिता 51% से कम हो जायेगी, जो संसद द्वारा लिए गए निर्णय के विरूद्ध है, सीसीबीआईएफयू सरकार से मांग करता है कि इस निर्णय पर पुर्नविचार करें और इसे रद्द करें।

सम्मेलन चिंता के साथ नोट करता है कि बैंकों, एलआईसी तथा जीआईसी में लाखों रिक्तियाँ रिक्त पड़ी हुई हैं और इसलिए मांग करता है कि इन सभी रिक्तियों को पर्याप्त भर्तियों के माध्यम से भर जाने की आवश्यकता है।

सम्मेलन समान रूप से चिंतित है कि स्थायी कर्मचारियों के माध्यम से इन नियमित रिक्तियों को भरने के बजाय, इन रिक्तियों को अनुबंध कर्मचारियों को आउटसोर्स किए जाने के प्रयास हैं। बैठक बैंकिंग तथा बीमा क्षेत्र में नियमित कार्यों की आउटसोर्सिंग की इस नीति को रोकने के लिए सरकार तथा प्रबंधन का आह्वान करती है।

सम्मेलन नोट करता है कि जबकि बैंकिंग क्षेत्र में वेतन पुनरीक्षण के लिए बातचीत प्रक्रिया में है, आईबीए तथा सरकार का दृष्टिकोण तथा रवैया नकारात्मक लगता है। एलआईसी तथा जीआईसी में, बातचीत तक शुरू नहीं हुई है। बैठक जल्द से जल्द बैंकिंग तथा बीमा क्षेत्र में वेतन पुनरीक्षण को शीघ्र करने और अन्तिम रूप से तय करने की सरकार का आह्वान करती है।

जबकि पेंशन योजना में शामिल होने का एक और विकल्प बैंकों में कर्मचारियों को दिया गया है, एलआईसी तथा जीआईसी में इससे इंकार किया जा रहा है। सीसीबीआईएफयू सरकार से मांग करता है कि महंगाई भत्ते से जुड़ी पेंशन योजना में शामिल होने के लिए एलआईसी तथा जीआईसी में एक और विकल्प दिया जाये। बैठक यह भी मांग करती है कि उन कर्मचारियों को जो वर्तमान में नई पेंशन योजना द्वारा कवर हैं महंगाई भत्ते से जुड़ी परिभाषित लाभ पेंशन योजना द्वारा कवर किया जाना चाहिए।

सम्मेलन उपरोक्त मांगों और मुद्दों को आगे बढ़ाने का निर्णय लेता है और सीसीबीआईएफयू के पदाधिकारियों को हड़ताली कार्रवाईयों सहित उचित आंदोलनात्मक कार्यक्रमों का सहारा लेने के लिए अधिकृत करता है जो भी इन मांगों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक हों।

साथियों, इस तरह सम्मेलन अधिक से अधिक एकता और एकजुट संघर्षों के माध्यम से आने वाले दिनों में आगे बढ़ने के लिए उत्साह और आत्मविश्वास के साथ सम्पन्न हुआ।

हम देशभर के सभी राज्यों और शहरों में सीसीबीआईएफयू को सुदृढ़ करने के लिए अपनी सभी यूनियनों तथा सदस्यों का आह्वान करते हैं।

अभिवादन सहित,

आपका साथी
ह0..
सी.एच. वेंकटचलम्
चेयरमैन